न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र.क..............

R 4208-II-16

प्रमोद कुमार सोनी तनय स्व0 रामदेव सोनी निवासी ग्राम भरजुना खुर्द तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..निगराकार

बनाम

1. ओमप्रकाश सोनी तनय श्री रामेश्वरप्रसाद सोनी
2. रामेश्वरप्रसाद सोनी तनय स्व0 रामदेव सोनी

दोनों निवासी ग्राम भरजुना खुर्द तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

3. श्रीमती शान्ती सोनी पत्नी श्री रामकुशल सोनी पुत्री स्व0 रामप्रताप सोनी निवासी सिद्धार्थनगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0.........

....गैर–निगराकारगण

755
13-12-16

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 13-12-16 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13/12/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
13-12-16 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी (पुनरीक्षण) विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त –हाटी तहसील रघुराजनगर जिला सतनाम0प्र0के प्रकरण क0 11अ6/2014–15आदेश दिनांक 20.09.2016 निगरानी अंतर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0 संहिता

मान्यवर,

उपरोक्त सदंर्भ में निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार व गैर–निगराकार क0 2 आपस में सगे भाई है तथा गैर–निगराकार क0 3 इनके स्वर्गीय भाई रामप्रताप की पुत्री है तथा गैर–निगराकार क0 1 गैर–निगराकार क0 2 का पुत्र है। दोनों पक्ष एक ही कुटुम्ब के सदस्य है।

प्रश्नाधीन आ0ख0नं0 151 रकवा 0.955 हे0 वाके मौजा उमरी पटवारी हल्का भरजुना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजियात है। जो पैत्रिक भूमि है। जिसके खातेदार निगराकार व गैर–निगराकार क0 2 तथा गैर–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4208-दो/2016 **जिला** सतना

प्रमोद विरूद्ध ओमप्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त हाटी रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 11/अ6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 27-05-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 27/3/19 सदस्य	